# अनुदान संख्या 15 – दूरसंचार विभाग
# GRANT No. 15–DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

| | | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged–* | | | | | |
| पूरक | Supplementary | *50,07,00* | | *50,07,00* | *50,06,34* | *–66* |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | | *शून्य Nil* |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 2331,24,00 | | 6421,74,00 | 6361,83,08 | –59,90,92 |
| पूरक | Supplementary | 4090,50,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 20,22,62 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 509,00,00 | | 916,10,00 | 916,09,99 | –1 |
| पूरक | Supplementary | 407,10,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | शून्य Nil |

***टीका और टिप्पणियां***

***Notes and comments***

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | Major Head "3451" Secretariat- Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 13901.00 | 12407.81 | 12045.60 | –362.21 |
| पु. | R. | –1493.19 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ | Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits | | | | |
| मू. | O. | 115500.00 | | | |
| पू. | S. | 3296.00 | 120000.00 | 117259.07 | –2740.93 |
| पु. | R. | 1204.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3225" दूरसंचार सेवाएं | Major Head "3225" Telecommunication Services | | | | |
| पू. | S. | 1575.00 | 1575.00 | 966.02 | –608.98 |
| मुख्य शीर्ष "3275" अन्य संचार सेवाएं | Major Head "3275" Other Communication Services | | | | |
| मू. | O. | 50586.00 | | | |
| पू. | S. | 394576.00 | 443428.57 | 443172.89 | –255.68 |
| पु. | R. | –1733.43 | | | |

(I) 3.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2071" "पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "3225" - "इंजीनियरी - रख-रखाव - दूरसंचार सेवाएं" - 1066.06 लाख रु. की निधियां मार्च, 2005 में पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराईं गईं थी जो प्रत्याशा की अपेक्षा उचंत का कम समाशोधन किए जाने के कारण 608.28 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" - "अन्य व्यय - ग्रामीण टेलीफोन के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को प्रतिपूर्ति" - 193776.00 लाख रु. की निधियां दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में पूरक

(I) Provision of Rs.3.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2071"– "Pensions and Other Retirement Benefits".

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "3225" - "Engineering - Maintenance - Telecom lines"- funds of Rs.1066.06 lakhs were provided by obtaining supplementary grant in March, 2005 remained unutilised to the extent of Rs.608.28 lakhs - due to less clearance of suspense than anticipated.

(B) Major Head "3275" - "Other Expenditure- Reimbursement to Bharat Sanchar Nigam Limited towards rural telephony" - funds of Rs.193776.00 lakhs were provided by obtaining supplementary

अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं थी जो भारत संचार निगम लिमिटेड को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति की राशि में कमी आने के कारण 17208.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सामान्य प्रशासन – प्रशासन विभाग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र'' - 1302.00 लाख रु. की बचत (8138.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघटकों और उपस्करों के आयात में विलंब होने और साथ ही परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''छुट-पुट निर्माण कार्य'' - 395.97 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत संचार निगम लिमिटेड से सिविल एवं वैद्युत निर्माण कार्य के लिए कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''पेंशन का संराशित मूल्य'' - 3671.62 लाख रु. की बचत (26000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''उपदान'' - 1215.25 लाख रु. की बचत (27500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रत्याशा से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) ''छुट्टी नकदीकरण हितलाभ'' - 1753.46 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत संचार निगम लिमिटेड में स्टाफ और अधिकारियों को आमेलित किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3275'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''बेतार आयोजना और समन्वय'' - 7172.68 लाख रु. की बचत (7604.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

grant in December,2004 and March,2005 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.17208.00 lakhs - due to shortfall in the amount of reimbursement of license fee and spectrum charges to Bharat Sanchar Nigam Limited.

(III) Under Major Head “3451” - “General Administration - Department of Telecommunications” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Centre for Development of Telematics ”- saving of Rs.1302.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8138.00 lakhs) was due to delay in import of components and equipments and also delay in completion of projects.

(B) “Petty Works” - saving of Rs.395.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to receipt of less bills for civil and electrical works from Bharat Sanchar Nigam Limited.

(IV) Under Major Head “2071” - “Civil”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Commuted Value of Pensions”- saving of Rs.3671.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26000.00 lakhs); and

(B) “Gratuities”- saving of Rs.1215.25 lakhs (against the sanctioned provision Rs.27500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less number of claims than anticipated.

(C) “Leave encashment benefits”- saving of Rs.1753.46 lakhs (against the sanctioned provision Rs.2500.00 lakhs) was due to absorption of staff and officers in Bharat Sanchar Nigam Limited.

(V) Under Major Head “3275” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Wireless Planning and Co-ordination” - saving of Rs.7172.68 lakhs (against the sanctioned

वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए तकनीकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''बेतार निगरानी सेवाएं'' - 521.41 लाख रु. की बचत (1409.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्विचन एवं संचरण इकाई को समाप्त किए जाने, परियोजनाओं को अंतरित किए जाने, यू/वीएचएफ स्पेक्ट्रम को सुदृढ़ किए जाने, निगरानी क्षमताओं आदि को अगले वित्तीय वर्ष तक ले जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4260.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल - अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते'' के अंतर्गत मार्च, 2005 में 2796.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5120.58 लाख रु. था।

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3275'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''विश्व व्यापक सेवा दायित्व के अंतर्गत सेवा प्रदायकों को प्रतिपूर्ति'' - 11458.50 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 100000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 120000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''विश्व व्यापक सेवा दायित्व'' के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की अदायगी के लिए सेवा प्रदायकों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(खा) ''आरक्षित निधियों को अंतरण - विश्व व्यापक सेवा दायित्व निधि को अंतरण'' - 11458.50 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 100000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 120000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''विश्व व्यापक सेवा दायित्व'' के अंतर्गत सेवा प्रदायकों को प्रतिपूर्ति की अदायगी संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए राशि का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 100.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''7275'' - ''अन्य संचार सेवाओं के लिए कर्ज'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

provision Rs.7604.00 lakhs) was due to delay in finalisation of technical procedure for procurement of vehicles.

(B) "Wireless Monitoring Services" – saving of Rs.521.41 lakhs (against the sanctioned provision Rs.1409.00 lakhs) was due to abolition of Switching and Transmission unit, shifting of projects strengthening of U/VHF spectrum, monitoring capabilities etc. to the next financial year.

2.(I) The above savings were partly (Rs.4260.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.2796.00 lakhs in March, 2005 under Major Head "2071" - "Civil-Superannuation and Retirement Allowances". Actual excess however, was Rs.5120.58 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3275"- under the following heads:-

(A) "Compensation to Service Providers under Universal Service Obligation" - excess of Rs.11458.50 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.120000.00 lakhs including supplementary grant of Rs.100000.00 lakhs obtained in December, 2004) was due to receipt of more claims from service providers for payment of compensation under "Universal Service Obligation".

(B) "Transfer to Reserve Funds – Transfer to Universal Service Obligation Fund"- excess of Rs.11458.50 lakhs (against the total sanctioned provision Rs.120000.00 lakhs including supplementary grant of Rs.100000.00 lakhs obtained in December, 2004) was due to transfer of amount to meet the liabilities on account of payment compensation to service providers under "Universal Service Obligation".

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "7275" - "Loans for Other Communication Services".